AIRO JOURNALS

Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

शोध पत्र

विषय :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा भूमि संबंधी अन्य विधियो के तहत खातेदारी अधिकारो का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

रामदेव गूर्जर (बी.ए., एल.एल.बी., एल.एल.एम.)
शोध विद्यार्थी, भगवंत विश्वविद्यालय , अजमेर, राजस्थान
मोबाईल नम्बर 9829238091
email ID :- ramdevkasanaksgcourt@gmail.com

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/ OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

1. भुमिका :–

हे कृषक !

तुम से बड़ा पुरूषार्थी कौन है ?

तुम से बड़ा तपस्वी भी कौन है ?

तुम्हें मानव का पोषण करने के लिये स्वयं ईश्वर ने भेजा है। ब्रम्हा को जीव–रूप में, अन्न के साथ सृष्टि यज्ञ में आहुत करने के लिये तुम्हीं कृषक, तुम्हीं गोपाल, तुम्हीं वैश्य भारत एक कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है तथा आज कुषि, भारतीय अर्थव्यस्था का मुख्य अवलंब बनी हुई है हम राजस्थान में रहते है जिसकी भी अधिकतर अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी हुई है जैसा कि हमे ज्ञात है कि हमारे यहा कृषि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है खान–पान की बदलती आदतो को देखते हुए इस क्षेत्र में विकास की बहुत अधिक संभावना है। बाजार आधारित आवश्यकता को पूरा करने के लिये कृषि क्षेत्र में नए दृष्टिकोण विकसित किये जा रहे है, राजस्थान में खातेदारों को समय–समय किसानों व कृषि को लेकर हो रही विधिक समस्याओं को ध्यान में रख कर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा कृषि आराजीयात व किसानों के लाभ के लिये अलग–अलग योजनाओं को लागू किया जाता है। जिससे किसानो को उन्नतषील कायम करने के लिये आधुनिक साधनों का सुलभ करवाना एवं विधिक अधिकार को विस्तारित न करके लाभदायक व सरलीकरण करना ताकी किसानों को कानूनी पेचिदगीयों से उभार कर विधिक अधिकार से लाभान्वित करना है।

वेदो में कहा गया है कि ''अहम ब्रम्हास्मी'' मैं ब्रम्हा हूॅ अर्थात किसान को ब्रम्हा अर्थात पालन कर्ता कहा गया है चूंकि ब्रम्हा सृष्टी का पालनहार है गीता में कहा गया है कि ''व्यक्ति का कर्म करने का अधिकार फल पर आधारित नहीं है अर्थात इसी प्रकार किसान इस महत्वपूर्ण तथ्य को आत्मसात करने का उदाहरण है चूंकि किसान बीज डालता, कब उगता है या नहीं उगेगा यह प्रकृति पर निर्भर करता है अर्थात किसान और प्रकृति का अनुठा संगम है। इसी प्रकार किसान कर्म पर विष्वास करके जीवन यापन करते है जो एक सन्यासी की भांती जीवन जीने की कला सिखाता है।

माहत्मा गांधी जी ने कहा था ''भारत की आत्मा गांवो में बसती है'' जिनका एक मात्र उद्देश्य था कि गांव का किसान, मजदूर, दलित, शोषित वर्ग का उत्थान ही भारत का विकास होना संभव है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अन्तिम शब्द कहे थे कि ''मेरे मरणोपरान्त

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

जो मेरे चिता की भस्म को खेतो में डालना'' तब हैलिकॉप्टर द्वारा प्रधानमंत्री जी की राख खेतों में डाली गयी थी जिसका तात्पर्य यह है कि ''राख/भस्म खेतों के लिये एक जैविक खाद जैसा कार्य करती है'' इस प्रकार कृषि एवं किसान के लिये प्रगतीशील करने के लिये जरूरी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि पर ही आधारित है। इस कारण जिस देष का किसान खुशाल होगा वह देश प्रगती की ओर अग्रसर होगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है इसमें लगभग 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है इसमें से लगभग 60–65 प्रतिषत जनसंख्या कृषि करती है ओर सम्पूर्ण देष 121 करोड़ जनसंख्या को अन्न प्राप्त होता है। कृषि से कच्चा माल उपलब्ध कराते है एवं अन्न व कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये आगतो की आवश्यकती पडती है कृषि में आने वाले साधनों जैसे उर्वरक, भूमि, ट्रेक्टर, पशु, सिंचाई, दवाईयां, बीज और परिवहन आदि सभी की आवश्यकता होती है जिन्हें हम कृषि आगत कहते है इन्हें खरीदने के लिये जिस धन की आवष्यकता होती है उसे कृषि लागत कहते है।

वर्तमान समय में बढ़ती कृषि लागतों एवं लगभग स्थिर कृषि उत्पाद मूल्य तथा प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता में गिरावट के परिपेक्ष्य में कृषि लाभ के व्यवसाय का दर्जा खोती जा रही है वृहत आर्थिक कारणों के अतिरिक्त कृषक स्तर पर कृषि आगतों के मूल्य में वृद्वि तथा तद्नरूप कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्वि न होने से कृषि उत्पाद राजस्व का कम होना पाया गया है जिससे कृषि की लाभदायकता उत्साहजनक नहीं रहती है।

2. अध्ययन का क्षेत्रः– अजमेर जिला

अजमेर जिले में करीबन 16 तहसीलें है। जैसे अजमेर, पीसांगन, नसीराबाद, केकड़ी, भिनाय, सरवाड़, किशनगढ़, पुष्कर, टाटगढ़, रूपनगढ़, विजयनगर, सावर, अंराई, टांटोटी है। जिनमें कुल मिलाकर करीबन 1068 गांव आते है जिसमें अधिकतर सभी गांवों में मुख्य पेशा कृषि ही है। जिनमें से हमारा मुख्य अध्ययन का क्षेत्र किषनगढ़, अंराई, रूपनगढ़ एवं अजमेर के गांवों पर अध्ययन का क्षेत्र रहा है उपरोक्त अधिकतर गांव अजमेर जिले के सटीक है जिसमें अधिकतर शिक्षित है परन्तु किसानों के लिये चलाई जाने वाली योजनाओं को सही समय पर ज्ञान नहीं होने से लाभ नहीं उठा पाते है एवं जो सरकारी कर्मचारीयों से साठ गाठ रखने वाले किसान जो पहले से ही सम्पन है वह लाभ उठा लेते है।

Authenr own skill

राजस्थान राज्य में कृषि पर आधारित दो अधिनियम लागू किये गये गये है जिनमें **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956** है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 :– जो अजमेर जिले में 15 जून 1958 में लागू की गयी थी जिसमें खातेदारो/काश्तकारों के अधिकार बताये गये है यह सभी श्रेणी के राजस्व न्यायालयों, कार्यालयों, की स्थापना उनकी कार्य प्रणाली व शक्तियों, सर्वेक्षण, भूमि रिकार्ड और व्यस्थापन कार्य, संपदाओं के विभाजन और भू–राजस्व की सग्रंहण से सम्बन्धित है। **(1)**

भू–राजस्व अधिनियम 1956 :– यह अधिनियम 1 जूलाई 1956 को लागू किया गया है भूमि राजस्व न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों और ग्राम की सेवकों की नियुक्ति, व्यक्तियो और कर्तव्यों, नक्षों और भूमि–अभिलेखों की तैयारी और उनके रखे जाने, राजस्व एवं लगान के परिनिर्धारण, सम्पदाओं के

ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

विभाजन, राजस्व के संग्रहण तथा तदानुषंगिक मामलों से सम्बन्धित विधि को, समेकित एवं संषोधित करने के लिये यह अधिनियम है। (2)

उपरोक्त दोनो अधिनियमों में राज्य सरकार द्वारा खातेदारी अधिकारों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है चुंकि वर्तमान में किसानों/खातेदारों की स्थिती बहुत ही दयनिय हो रही है किसानों में भी कई किसान ऐसे है जिनके पास स्वयं की खातेदारी भूमि नहीं होकर वह स्वयं दुसरों की आराजी पर मेहनत–मजदूरी करते है।

परिभाषाएं :–

1. **कृषि वर्ष :–** साल के जुलाई माह के पहले दिन से अगले जून के तीसवें दिन को खत्म होने वाले वर्ष से होता है।
2. **कृषि :–** काश्तकार/किसानों द्वारा खेती करना, दुग्ध, कुक्कुट पालन, पशुपालन एवं पेड़–पौधे भी शामिल।
3. **काश्तकार :–** अपने जीवन निर्वहन के लिये खेती करना अर्थात कृषकिय कार्य करने वाला।
4. **बिस्वेदार :–** से आषय जमाबन्दी में बिस्वेदार व स्वामी के रूप में लिखित व्यक्ति से होगा और उसमें वह व्यक्ति शामिल होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा गांव पर या गांवो के भाग का बिस्वेदार पद्वति के अनुसार बन्दोबस्त किया हुआ है।
5. **फसलों :–** कृषकिय कार्य से होने वाले, छोटे वृक्ष, पौधे तथा बेले एवं फल–सब्जीयां सम्मिलित है।
6. **भू–सम्पति :–** से आषय जागीरदार द्वारा धारित जागीरी भूमि या जागीरी भूमि में हित से होता है।
7. **भू–सम्पति धारक :–** से आषय उस समय भू–सम्पति के किसी धारक अर्थात जागीरदार, बिस्वेदार, से होता है।
8. **उपवन भूमि :–** से आषय भूमि के किसी विषेष भाग से है जिस पर पेड़ ऐसी संख्या में लगे हो जो कि ऐसी भूमि को उसके किसी भाग को अन्य किसी कृषि प्रयोजनार्थ मुख्य रूप से काम में लाने से रोकें।
9. **भूमि क्षेत्र :–** से तात्पर्य भूमि के एक या उससे अधिक खण्डों से होगा एवं ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को हिस्सा उसका अलग भूमि क्षेत्र माना जायेगा उसका बंटवारा हुआ हो अथवा न हुआ हो।
10. **इजारा या ठेका :–** से आषय लगान की वसूली हेतु दिये गये फार्म अथवा पट्टे से क्षेत्र जिसके बारे में इजारा ठेका है
11. **सुधार :–** से आषय आसामी के भूमि क्षेत्र के सम्बन्ध से है – स्वये के लिये निवास हेतु भूमि क्षेत्र में बनाया गया भवन, पशुओं का बाड़ा, भण्डार गृह अथवा प्रयोजनार्थ कोई अन्य प्रकार का निर्माण, तालाबों, बन्धों कुओं, नालों एवं अन्य प्रकार के साधन का निर्माण, जल बाहर आने, बाढो, मिट्टी की कटाई या पानी से होने वाले अन्य नुकसान से उसकी रक्षा, सफाई करना, घेरा बांधना, आदी।
12. **जागीरदार :–** से आषय किसी स्थान में जागीर भूमि के हितों को धारण करता है।
13. जागीरदार को भू–राजस्व अथवा अन्य किसी राजस्व के विषय में अधिकार प्राप्त होते है।

ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

14. **खुदकाष्त** :– से आषय राज्य के किसी भाग में किसी भी भू–सम्पतिधारी के द्वारा स्वयं द्वारा काष्त की गई भूमि से है।
15. **भूमि** :– से आषय ऐसी भूमि से होगा जो कृषि सम्बन्धी कार्यो या तद्धीन ऐसे अन्य कार्यों अथवा उपवन अथवा चारागाह हेतु पट्टे पर दी जाये अतः कृषि/काष्त करने बाबत् जमीन
16. **भू–स्वामी** :– से आषय भूमि के मालिक से है एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा आखरी रूप में अनुमोदित समझौते के अध्याधीन ओर उसके अनुसार, धारित करने वाले, राजस्थान की प्रसंविदाओं के अन्तर्गत रियासतों के राजा से है।

(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 (1) धारा 5 (1) में कृषि वर्ष परिभाषित, (2) धारा 5 (2) कृषि परिभाषित, (3) धारा 5(3) काष्तकार, (4) धारा 5(5) बिस्वेदार, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 1 से 3) (1) (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 1) (2)

17. **जागीर भूमि** :– से अभिप्राय राज्य के किसी भाग में ऐसी भूमि से होगा जिसमें या जिसके बारे
18. **भूमि–धारी** :– आषय ऐसे व्यक्ति से है जो कोई भूमि उसके नाम से जानी जाती है एवं वह उस भूमि बाबत् लगान देता है।
19. **भूमि हीन व्यक्ति** :– से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम किसी भी प्रकार से कोई भूमि नहीं है एवं वह अन्य व्यक्ति की जोत पर काम करने जाता है।
20. **मालिक** :– से तात्पर्य किसी जमीनदार अथवा बिस्वेदार से है।
21. **अधिवासित भूमि** :– से आषय ऐसी भूमि से होगा जो किसी आसामी को कुछ समय के लिये किराये पर दी गई अर्थात कृषि करने के लिये दी गयी हो।
22. **गोचर भूमि** :– से आषय ऐसी भूमि से होगा जो गांव या गांवों के पशुओं को चराने के काम आती है।
23. **लगान** :– से आषय उससे होगा जो कुछ भी भूमि के उपयोग या अधिवास या भूमि में किसी अधिकार के लिये नकद या जिन्स अंषतः नकद और अंषतः जिन्स के रूप में देय है।
24. **सायर में** :– में वह सब सम्मिलित है जो कुछ अनुज्ञाधारी या पट्टेधारी द्वारा, अनधिवासित भूमि से ऐसी उपज जैसे घास, फुस, लकड़ी, ईधन, फल, लाख, गोंद, लूंग, पाला पन्नी, सिंघाड़ा या ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कुड़ा कर्कट जैसे भूमि पर फैली हड्डियां या गोबर उठाने के अधिकार के कारण या मछली पकड़ने के अधिकार के कारण या वन अधिकारों या अप्राकृतिक साधनों से सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी लेने के कारण भुगतान किया जाना हो,
25. **षिकमी आसामी** :– से तात्पर्य राज्य के किसी भाग में चाहे किसी भी नाम से जानने वाले ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि के आसामी से लेकर भूमि धारण करता है।
26. **आसामी** :– से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जो लगान देता है या किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संविदा के अभाव में देगा और उसमें सिवाय उस अवस्था के जबकि विपरित आषय प्रकट हो।
27. **अतिक्रमी** :– से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि का कब्जा बिना अधिकार प्राप्त किये बनाये रखता है अथवा भूमि पर अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसी भूमि विधि अनुसार पट्टे पर दी गई है।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

28. **जमींदार :–** से आषय ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे राज्य के किसी हिस्से में कोई गांव या किसी गांव का हिस्सा, जमींदारी प्रथा के अनुसार बन्दोबस्त में दिया जाये।
29. **नालबट :–** से आषय किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुऍ के स्वामी को उस कुऍ को सिंचाई के प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के लिये नकदी या जिन्सों के रूप में भुगतान करने से होगा।

खातेदारों/काष्तकारों के प्रकार

1. **खातेदार काष्तकार** :– धारा 16 तथा धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के षिकमी आसामी या खुदकाष्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, षिकमी आसामी या खुदकाष्त के आसामी **(1)**
2. **गैरखातेदार काष्तकार** :– राज्य के किसी भाग में भूमि का प्रत्येक ऐसा आसामी, जो खातेदार आसामी, खुदकाष्त के आसामी अथवा षिकमी आसामी से अलग हो, गैर खातेदार आसामी होगा। **(2)**
3. **मालिक :–** प्रत्येक ऐसा जमींदार अथवा बिस्वेदार जिसकी भू–सम्पति **(3)**
4. **खुदकाष्त आसामी :–** प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिनको इस अधिनियम के प्रभाव में आते समय अथवा उसके पश्चात् किसी समय, राज्य के किसी भाग में भू–सम्पति धारक द्वारा, खुदकाष्त, कानूनन पट्टे पर प्रदत्त की गई हो। **(4)**

राजस्थान में कई किस्म की भूमियां है जिनमें भूमियां प्रमुख निम्न प्रकार से है कि :–

चाही बाडी, चाही ए, चाही प्रथम, चाही द्वितीय, चाही तृतीय, चाही ए गै0मु0, चाही प्रथम गै0मु0, चाही द्वितीय गै0मु0, चाही तृतीय गै0मु0, नहरी प्रथम, नहरी द्वितीय, नहरी तृतीय, तालाबी ए, तालाबी प्रथम, तालाबी द्वितीय, तालाबी तृतीय, नाड़ा प्रथम, नाड़ा द्वितीय, नाड़ा तृतीय, बारानी प्रथम, बारानी द्वितीय, बारानी तृतीय, बंजर प्रथम, बंजर द्वितीय, चारागाह, झरड़ा, दाती, आबी प्रथम, आबी द्वितीय, आबी तृतीय, आबी चतुर्थ, छापर, गै0मु0 छापर, गै0मु0 शमषान (मरघट), खलिहान, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 आबादी, पायतन, सिंचित, असिंचित, दीगर, डेहरी, सेवज, खड़ीन या सैलावी, तालाबी पेटा, कछार या खातली, वारानी या बरसाली या माल, बीड़, गैर मुनकिन **(5)**

अवतरण, अन्तरण, विनिमय तथा विभाजन सामान्य

1. **आसामीयों का हित :–** जैसा कि इस अधिनियम में विहित है उसके सिवाय आसामी का अपने भूमि क्षेत्र में हित दाय योग्य है किन्तु अन्तरणीय नही है।**(6)**

(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की (18) धारा 5 (26)क भूमिहिन व्यक्ति, (19) धारा 5 (26कक) मालिक, (20) धारा 5 (27) अधिवासित भूमि, (21) धारा 5 (28), (22) धारा 5 (32) लगान, (23) धारा 5 (37) सायर में, (24) धारा 5 (41) षिकमी आसामी, (25) धारा 5 (43) आसामी, (26) धारा 5 (44), (27) धारा 5 (46) जमीदार, (28) धारा 5 (47) नालबट, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 3 से 14)

ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

2. **वसीयत** :– खातेदार आसामी अपने भूमि क्षेत्र में अपने हित को या हित के भाग को उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार जो उस पर लागू होता है, वसीयतनामा के द्वारा वसीयत में दे सकता है। (1)

3. **आसामियों का उत्तराधिकार** :– जब आसामी वसीयतनामा किये जबना मृत्यु को प्राप्त हो जाये, तो उसके भूमि क्षेत्र में निहित उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार अवतरण होगे जिसके कि वह मृत्यु के समय अधीन था। (2)

4. **सम्पदाओं का विभाजन** :– विभाजन से किसी भी विभाज्य सम्पदा का ऐसे दो या भागो में बंटवारा अभिप्रेत है जिसमें प्रत्येक में एक या अधिक अंष हो। यदि सभी सहखातेदार अथवा सम्पदा प्राप्त व्यक्ति विभाजन करने में सहमती प्रकट करते हो तो धारा 53 (2) राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन करने पर उपस्थिती के हस्ताक्षर होने पर करवाया जा सकता है। यदि सम्पदा प्राप्त व्यक्ति अथवा सहखातेदार रजामंद नहीं होने पर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद पेष करने पर साक्ष्य–सुनवाई कर विभाजन का वाद डिक्री किया जा सकता है (3)

5. **नक्षे में शुद्वीकरण** :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के तहत सम्पूर्ण ग्रामों में समस्त भूमियों का राजस्व नक्षा कायम किया जाता है नक्षे में किसी प्रकार की दुरूस्ती करवाने हेतु धारा 131 के तहत आवेदन किया जा सकता है। (4)

6. **राजस्व रिकार्ड में गलतीयों का शुद्वीकरण** :– भूमि अभिलेख अधिकार (उपखण्ड अधिकारी) किसी भी समय, किसी लिपीकीय गलती और ऐसी गलतीयों को विहित रिती से शुद्व कर सकेगा या उन्हे शुद्व करवा सकेगा जिनका अधिकार – अभिलेख या रजिस्ट्रर में कर दिया जाना, हितबद्व पक्षकार स्वीकार करें, या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्ट्रर में अपने निरक्षण के दौरान नोटिस करें। (5)

7. **नामान्तकरण प्रक्रिया** :– किसी भी काष्तकार के लिये जमाबन्दी सबसे महत्वपूर्ण राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रत्येक काष्तकार की भूमि एवं स्वामित्व का समुचित विवरण अंकित होता है जमाबन्दी में अंकित तथ्यों में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाना है तो वह नामान्तरण के द्वारा ही सम्भव अतः नामान्तकरण का महत्व भी जमाबन्दी से कम नही है। नामान्तरण निम्न परिस्थितीयों में खोलना आवश्यक हो जाता है। (6)

8. **कृषि भूमि का बैचान नामान्तकरण** :– किसी खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी अधिकार की आराजी जो राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो को बैचान करने पर खरीदार के पक्ष में बैचान नामान्तकरण खोला जाता है।

9. **खातेदार की मृत्यु** :– किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारीसान के पक्ष में विरासत नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है

10. **आपसी बंटवारा** :– सहखातेदारों के बीच में आपसी बंटवारा होता है तो अधिकार अभिलेख में अलग–अलग खाता/खसरा बाबत् जमाबन्दी व नक्षा ट्रेस अलग–अलग करते हुये विभाजन नामान्तरण खोला जाता है।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

11. पारिवारिक समझौता :– ऐसे सहखातेदार या एकल खातेदार जो एक ही परिवार के सदस्य हो एवं आपस में मिलकर पारिवारिक समझौते के आधार पर भूमि का विभाजन या हस्तान्तरण करते है तो पारिवारिक समझौते के आधार पर नामान्तरण खोला जाता है।

12. भूमि को गिरवी रखना :– खातेदार द्वारा अपनी आराजी को किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखता है तो उस बाबत् गिरवी का नामान्तकरण अधिकार अभिलेख में स्वीकृत किया जाता है।

13. भूमि की किस्म परिवर्तन :– खातेदार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करके शक्ल/किस्म परिवर्तन करवाया हो एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेष से भूमि का किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण खोला जाता है।

14. भूमि पर कुएं का निर्माण होने पर :– खातेदार द्वारा अपनी जोत/आराजी पर कुएं का निर्माण करवाया जाता है उक्त कुएं/चाह का नामान्तरण स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 29) 1
(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 17, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 59) 2
(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 17, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 59) 3
(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 क, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 59) 4
(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अधीन आने वाली भूमियां खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 48 से 49) 5
(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 38, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 102) 6
(पैरा संख्या 7 व 7–1 से 7–10 तक राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) द्वारा पारित परिपत्र क्रंमाक : राम/भू.अ./जी–3/विविध/1–241 दिनांक 02.01.2006)

1. **सक्षम न्यायालय के आदेष की पालना में** :– किसी सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी, न्यायालय के आदेश की पालना में भी पारित आदेष के तहत नामान्तकरण खोला जा सकता है।

   उपरोक्त नामान्तरण प्रार्थना पत्र/आदेष के तहत तहसीलदार/पटवारी द्वारा अधिकार अभिलेख में खोला जाता है एवं तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) प्रकरण दर्ज करके नामान्तकरण की कार्यवाही की जाती है एवं पंचायत स्तर पर विरासत नामान्तरण खोला जाता है जो धारा 135 (1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आता है।

2. **नामान्तरण खोलते समय ध्यान में रखने योग्य कार्यवाही:–** नामान्तरण खोलते समय मौका निरिक्षण करते समय बहुत की बातो का ध्यान रखना आवष्यक है यदि कृषि भूमि का एक ही खसरा में से भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को आवंटन किया गया है तो नामान्तरण खोलने से पूर्व आवंटन आदेष के अनुसार आवंटियों को बटा नम्बर देते हुये नामान्तरण खोला जाना चाहिए एवं ध्यान पूर्वक मौका निरिक्षण/मौका पर्चा कायम किया जाना आवष्यक है। **(1)**

3. **आदिम जाति (अनुसूचित जनजाति) के सदस्यों सम्बन्ध में विरासत से नामान्तरण की कार्यवाही** :– आदिम जाति (अनुसूचित जनजाति) के सदस्यों के सम्बन्ध में विरासत से नामान्तरण की कार्यवाही के लिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ऐसे अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि केन्द्रीय सरकार सरकारी

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

राजपत्र में अधिसूचना प्रकाषित करके अन्यथा निर्देष जारी नहीं करें। इसके अनुसार यह स्पष्ट है कि इन जाति के समुदायों में विरासत पर नामान्तरण की कार्यवाही इनमें प्रचलित रीति–रिवाजों के अनुसार ही की जानी चाहिए। (1)

खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को समय–समय पर नियम/योजना लागू करना चाहिए :– (2)

राज्य सरकार द्वारा सभी जिलो में कलैक्टर अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्देष जारी किये गये है कि भू–संषोधन के अवषेष के प्रकरण मानते हुये सन् 1999 में आदेष पारित किये कि लगातार काबिज काष्त काष्तकारों को नियमन करने अथवा धारा 19 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी दिये जाने बाबत तहसीलदार या अधिनिस्थ कर्मचारियों द्वारा अनुषंषा करनी चाहिये थी। परन्तु तहसीलदार अथवा अधिनिस्थ कर्मचारियों द्वारा विधि के तहत कार्यवाही नहीं की जाती है जिससे राज्य के किसानों/मजदूरी वर्ग के किसानों को कोई फायदा नहीं होता है।

राज्य सरकार द्वारा अधिनस्थ भू–धारी/तहसीलदारों को निःशुल्क **सुधारपंजिका दि** जाती है। जिसमें सभी व्यक्तियों द्वारा किये गये सुधार का विवरण दिया जाता है। तहसीलदारों द्वारा सुधार पंजिका में भी उल्लेखित नहीं किया गया है। तहसीलदार/अधिनस्थ कर्मचारी/पटवारी हल्का को भी **घटना बही पंजिका** राज्य सरकार द्वारा निःषुल्क प्रदत्त कि जाती है। जिसमें समस्त काष्तकारों एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित व्यक्तियों कि जानकारी रखी जाती है। परन्तु सरकार द्वारा प्रतिपादित विधियों का निचले स्थर पर सही क्रम में अर्थात विधिक क्रम में कार्यवाही नहीं करने से लम्बे अर्से से काबिज, सद्भाविक काष्तकार विधिक अनुतोष प्राप्त करने से वंचित रह जाते है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 20 (2) प्रावधान किया गया है कि "15 बीघा से अधिक क्षेत्रफल के लिये सामान्य श्रेणी में आने वाले अतिक्रमण से, पडौस में स्थित कृषि भूमि का बाजार मूल्य से प्रसारित किया जायेगा यदि वे अतिक्रमी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति/गरीब रेखा श्रेणी से निचे से सम्बन्धित हो" इस प्रकार किसानों को पूर्णत इन नियमो का पालना सतत् रूप से किया जा रहा है एवं पीछडी जाति से सम्बन्ध रखता है। **राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में प्रत्येक वार्षिक वर्ष की समाप्ती अथवा मध्यान्तर में ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व क्रेम्प का आयोजन किया जाता है ऐसे कैम्प के अनुसार ऐसी भूमियों बाबत् आंवटन नियमन किया जाना आवष्यक था परन्तु तहसीलदारों/राज्य सरकारों द्वारा केवल औपचारिकता पूर्ण धारा 91 की कार्यवाही कर जुर्माना ताईद करने के पश्चात् बेदखली के आदेश केवल मात्र दस्तावेजी रिकार्ड में किया गया है।**

(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 102) (1)
(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 102) (2)
(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 167) (3)
(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 149) (4) (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 192–3)
(5) (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में भूमि रूपान्तरण एवं अतिक्रमण नियमन की सूचनाये, आदेष एवं परिपत्र) (6)

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

(पैरा संख्या 7 व 7–1 से 7–10 तक राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) द्वारा पारित परिपत्र क्रंमाक : राम/भू.अ./जी–3/विविध/1–241 दिनांक 02.01.2006) (1)

Authenr own skill (2)

(राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज. –6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003) एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

3. शोध समस्याः–

उपरोक्त वर्णित अधिकतर गांव अजमेर जिले के सटीक है जिसमें अधिकतर शिक्षित है परन्तु किसानों के लिये चलाई जाने वाली योजनाओं को सही समय पर ज्ञान नहीं होने से लाभ नहीं उठा पाते है एवं जो सरकारी कर्मचारीयों से साठ गाठ रखने वाले किसान जो पहले से ही सम्पन है वह लाभ उठा लेते है। किसानों के लिये धरातल स्तर पर योजना लागू करके अधिक से अधिक अन्न उत्पादन हेतु सकारात्मक सरकार को उठाना चाहिए, प्रत्येक ग्राम मुख्यालय पर किसान सेवा क्रेन्द होना आवष्यक है जिससे किसानों को लाभान्वित योजनाओ का प्रचार–प्रसार हो जिससे कृषि आयाम चरम सीमा तक बढोतरी हो सकें।

3.1 भूमि का स्तर

अजमेर जिले में कई प्रकार की भूमियां है जिसमें से कई स्थानों पर कृषि उत्पादन के लिये अनेक आगतो/साधनों का प्रयोग किया जाता है जिनके माध्यम से उत्पादन सम्भव होता है परन्तु कई स्थान पिछडी श्रेणी में आने से व कृषकों की आर्थिक स्थिती सही नहीं होने से कृषि खर्चा चलाना बहुत मुष्किल हो रहा है। अजमेर जिले में कई स्थानों पर कृषि भूमि पत्थरीली है कई स्थानों पर भूमियां अधिक उपजाऊ है तो कई स्थानों पर कम उपजाऊ है परन्तु कई स्थानों पर साधनों व पानी की कमी से किसान अन्न उत्पादन करने में असमर्थ हो जाते है।

3.2 पानी/नदी/नालों का स्तर

अजमेर जिलें में कई स्थानों पर अनेक छोटे–मोटे नदी/नाले /तालाब/बांध है जिसमें कई पूर्व से समृद्व किसान एवं उधोगपति उन नदी/नालों का स्तर खराब कर अपने स्वार्थ के लिये नदी/नालों का वातावरण अर्थात स्वरूप ही बदल देते है कई स्थानों पर तो नदी/नाले केवल मात्र दस्तावेजों में ही नदी/नाले है परन्तु मौके पर कोई अस्तित्व ही नही है, अर्थात कुछ लोगो द्वारा अपने स्वार्थ के लिये नदी/नालो पर अतिक्रमण करके पुरे गांव/किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे है।

3.3 प्राकृतिक समस्या

हमारे देश में ज्यादातर किसान सिर्फ खेती पर निर्भर रहते है लेकिन कभी–कभी इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन्हे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी फसले नष्ट हो जाती है ओर वह नुकसान में चले जाते है सरकार ने इन प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं से बचने के लिये फसल बीमा योजना बनाई है सरकार को चाहिए की इस बीमा योजना के बारे में किसान भाई–बहिनों को इसके बारे में जानकारी दे जिससे किसान अपनी फसलों का बीमा करवा कर इन प्राकृतिक आपदाओं से हो रही समस्याओं से कुछ हद तक बच सकें

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor:6.7
Subject:Law

3.4 अन्य समस्या

कृषि में किसानों की बढ़ती उत्पादन लागत एवं घटते कृषि उत्पाद राजस्व की समस्यां का मूल्यांकन, बढ़ती कृषि उत्पादन लागत के प्रभावों से किसानों की आय एवं उनके जीवन स्तर का मूल्यांकन करना, किसानों के सामाजिक स्तर में कृषिगत आय से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना।

पहले एक किसान सिर्फ खेती पर निर्भर रहता था लेकिन बदलते जमाने में किसान खेती के अलावा साथ में कुछ और भी करते है क्योंकि हमारे देष में बहुत सारी समस्याएं आ रही है इन समस्याओं से किसान भी जूझ रहे है यह समस्याएं कुछ ऐसी है जिस वजह से किसानों को आत्महत्या का कदम भी उठाना पड़ता है हम सभी को चाहिए कि हम किसानों की समस्याओं के बारे में जाने और इसके प्रति सभी को जागरूक करके किसानों को इस प्रॉब्लम से निकाले।

कर्ज की समस्या बहुत से किसान आने फसल के उत्पादन के लिये जरूरत पड़ने पर साहुकारों से कर्ज लेते है और इस कारण उन्हें बहुत से पैसे चुकाने होते है जिस वजह से किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सरकार को इस और विषेष ध्यान देने की जरूरत है और किसानों को जरूरत पड़ने पर लोन देना चाहिए साथ में इसकी पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक किसानों को देनी चाहिए जिसके किसान अपना पूरा जीवन कर्ज मुक्त जी सकें, लागत बढ़ना किसान अपने खेतों में फसल बोता है सिचाई करता है इसमें बहुत सी लागत उसे लगानी होती है लागत ज्यादा लगने के कारण किसानों की समस्या बढ़ती है पहले की अपेक्षा आज के जमाने में किसान फसलों के जरिये बहुत ही कम मुनाफा कमा पाते है कभी–कभी तो ऐसा होता है कि उनको उनके द्वारा लगाई गई लागत में से केवल लागत ही निकल पाती है और कभी कभी तो किसान नुकसान में भी चले जाते है जिस वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

हमारे देश में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है किसान अपनी मेहनत से फसल उगाते है और वह फसल मंडियों में बेचने के लिये जाते है जो हमें प्राप्त होती है हम उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में खाद्य सामग्री के रूप में करते है जो अपना पसीना बहाकर अपनी जमीन में फसल उगाते है पहले के जमाने से लेकर अभी तक हमारे देष में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले है।

फसलों की किमते कम होना काफी समय से यह देखा जाता है की फसलों की किमते कम हो जाती है जिस वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है फसलो की किमते कम होने के कारण किसानो की आमदनी कम होती है और इसी के साथ बहुत सारी समस्याऐं जन्म लेती है सरकार को उनकी समस्या को खत्म करने के लिये इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले समय में इस तरह की समस्या ना आये कभी–कभी किसान फसलों के दाम बढ़ने का इन्तजार करते है ओर अपनी फसलों को घरों में रखते है जिस वजह से फसल खराब हो जाती है और किसानो को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

<u>अध्याय 4. उद्देश्यः–</u>

राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिये समय समय पर कृषि आराजी को उन्नत बनाने के लिये परिपत्र जारी किये जाते है जिसमें किसानों के लिये अपनी जोत तक जाने के लिये रास्ता, जाति–नाम में दुरूस्ती एवं अनेक प्रकार के परिपत्रों के माध्यम से किसानो, काष्तकारो को लाभ पहुचाने के लिये कार्य किया जाता है।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की अधिनस्थ अधिकारीयों व न्यायालयों द्वारा तत्परता से पालना नहीं होने से जारी परिपत्र केवल मात्र
कागजी कार्यवाही बनकर रह जाते है जिससे आम व गरीब काष्तकारो, किसानों को उनका लाभ नहीं मिल पाता है।

इस प्रकार राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 राजस्थान के किसानों, काष्तकारों, खातेदारों के हितो को ध्यान में रखकर अधिनियम पारित किये गये है जो राजस्थान के सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये वरदान साबित हुआ है।

परन्तु इन अधिनियमों का सुचारू व ईमानदारी से पालना नहीं की जाती है जिससे आम व गरीब काष्तकार इसके लाभान्वित योजनाओं से वंचित रह जाते है।

राजनैताओ द्वारा गलत रूप से प्रषानिक व राज्य सरकार के अधिनस्थ अधिकारीयों पर दवाब बनाकर इन अधिनियमों का गलत उद्वेश्य की पूर्ति के लिये गलत रूप से कार्य किया जाता है एवं अपने व्यक्तियों को लाभ पहुचाया जाता है जिससे भी आम व गरीब किसानो के हितों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

कृषिगत सुधारों और कृषि के विकास के लिये आज भी एक व्यापक भूमि सुधार नीति की जरूरत है लेकिन इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जाना शेष है इन दोनो उद्वेष्यों को पूरा करने के लिये बिचौलियों को उन्मूलन, काष्तकारी में सुधार, कृषि योग्य अतिरिक्त भूमि का वितरण, जोतों की चकबंदी और भू–अभिलेखों को उद्यतन करने सम्बन्धी उपायों पर शीघ्र ध्यान देने की जरूरत है।

जिस तरह गृहणी अगर प्रसन्न व स्वस्थ रहती है तो घर स्वर्ग बन जाता है उसी तरह अगर देश के अन्नदाताओं/कृषकों को यथोचित सम्मान मिलेगा तो कृषक स्वस्थ व सम्पन्न रहेगें तो देश भी उन्नती करेगा और देश खुशहाल और समृद्व होगा।

<u>शोध का महत्वः–</u>

इस शोध का महत्व सरकार द्वारा जरूरतमन्द लोगों को कृषि, भूमि निःषुल्क या सषुल्क आवंटित की जाती है कृषि क्षेत्र में किसानों के सामने अनेक प्रकार की समस्या आती है जैसे लगातार बढ़ती आगत/लागत।

इस समस्या को ध्यान में रखकर कथन है कि '' किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है वर्तमान संदर्भ में हमारे देष में किसान आधुनिक विष्णु है वह देशभर को अन्न, फल, साग–सब्जी आदि दे रहा है लेकिन बदले में उसे उसका परिश्रमिक तक नहीं मिल पा रहा है पुराने समय से लेकर वर्तमान तक किसान का जीवन कष्टमय गुजरा है।

धरती हमारी मॉ है जो हमारा लालन–पालन करती है ''जब तुम मुझे पैरो से रौदते हो तथा हल के फाल से विदिर्ण करते हो तब मैं धन–धान्य बनकर मातृ–रूपा हो जाती हुॅ'' अर्थात धरती माता कहती है जब तुम अर्थात किसान मेरे ऊपर चलकर हल जोतते है एवं बीज डालते है जिससे प्रसन्न होकर ममता मय रूप से अन्न उत्पादन होता है।

यहां के अधिकांष लोग आज भी अपनी जीविका के लिये कृषि पर निर्भर करते है दुसरे शब्दों में हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है इन परिस्थितीयों में कृषक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है परन्तु देष के लिये अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि ''स्वतंत्रता प्राप्ती के 5 दषकों के बाद भी भारतीय कृषकों की दषा में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला है स्वतंत्रता से पूर्व

ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

भारतीय कृषक की स्थिती अत्यन्त दयनीय थी तब देष अग्रेजों के आधिपत्य में था जिनका मूल उद्वेष्य व्यापारिक था। उन्होने कृषकों की दषा में सुधार हेतु प्रयास नहीं किये कृषको की दषा में सुधार हेतु कई बार कानून पारित किये गये परन्तु वास्तविक रूप में उनका कभी भी पुर्णतया पालन नहीं किया गया, किसानों को अपने उत्पाद का एक बड़ा भाग कर/टेक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता था सुखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी स्थिती अत्यन्त दयनीय हो जाती थी कर/टेक्स अदा करने के लिये वह सेठ/साहुकारों से कर्ज लेते थे परन्तु उसे वापस न करने की स्थिती में आजीवन इसका बोझ ढोते रहते थे। अनेकों कृषको को अत्यन्त कम वेतन पर मजदुरी करने के लिये विवस होना पड़ता था।

इस तरह हमने किसानों व कृषि की सभी समस्यों का अध्ययन किया व अध्ययन उपरान्त किसानो व कृषि की स्थिती सुधारनें के लिये सरकार को काफी प्रयास करने चाहिए, परन्तु वर्तमान में भी सरकार उसी आधार पर चल रही है जिसमें किसान दर प्रति दर कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे है। सरकार का प्रथम उद्वेष्य किसानों के हितो को देखते हुये कार्य करना चाहिए ताकी किसानों की स्थिती सही हो सके जिससे देष की स्थिती में भी काफी सुधार आयेगा।

7. विश्लेषणः–

7.1 कृषि विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित

कृषि दोनो आकार में विषाल और प्रकृति से जटिल है, जो पुरे देश व सभी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में कटौती करता है और इसलिये इसे खेत के आकार या पारंपरिक किसान अनुषासन के संकीर्ण चष्में में सीमित नहीं किया जा सकता है भारत में कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि छोटे खेत जोत, विभिन्न प्रकार की जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कई जिला में बाढ़ की चपेट में आने के साथ कई स्थानों को एक ही समय में सुखे का सामना करना पड़ता है कृषि विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने का लाभ, केन्द्र द्वारा देष के विभिन्न हिस्सों में किसानों को हो रही समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। यह केन्द्र सरकार है जो राज्यों को अनुदान सहायता पर निर्णय लेती है साथ ही संघा की अधिभावी वित्तीय शक्तियों से राज्यों को कृषि से संबंधित मुद्वों का समाधान करने में मदद मिलेगी।

कृषि व किसानों को बढावा देने के लिये सरकार द्वारा कई योजनाऐ चलाई गयी है जिसमें मुख्य निम्न प्रकार से है जिससे कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकें।

7.2 केन्द्र सरकार द्वारा शुरू कि गयी कुछ प्रमुख पहल

7.2.1 ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना

केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना साल 2016–2017 से शुरू की है जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन को बढ़ावा दिया जायेगा, निजी क्षेत्र की अपेक्षानुसार ज्ञान और कौषल को बढ़ाया जायेगा, कृषि में अपना व्यापार शुरू करने के लिये सरकार यह भी बतायेगी की उद्यमी आर्थिक सहायता कहां से प्राप्त कर सकते है, कृषि क्षेत्र से जुडे लगभग 100 से अधिक व्यापार करने के योजनाएं/विचार,

7.2.2 मेरा गांव मेरा गौरव

वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान से मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत निम्न अनुसंधान किये जिससे की किसानो, ग्रामीणों में रूची बढे व कृषि क्षेत्र का विकास हो। जिसमें विभिन्न कृषि पद्धतियों

ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

पर किसानों को जागरूक करना, गांवों की कृषि–परिस्थिति की स्थितीयों के अनुसार प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण करना, आदान प्रदान–जलवायु–बाजार संबंधी जानकारी उपलब्ध करना, स्थानीय स्तर पर काम कर रहे विभिन्न संगठनों और संस्थानों द्वारा कार्यान्वित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में किसानों को जागरूक करना, स्वच्छ भारत अभियान–जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता आदि के बारे में जागरूकता फैलाना, संस्थान के विषेषज्ञों के साथ किसानों की बैठक आयोजित कर किसानों को नई नई तकनीकों में उनका उपयोग करना, गांव के स्तर पर तकनीकी समस्याओं की पहचान करना और संभावित अनुसंधान कार्यक्रमों में उनको उपयोग करना, आदि

इस प्रकार मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत एकामात्र उद्वेष्य यह है कि किस तरह गांव/किसान/कृषि का विकास कर सके एवं इसके विकास के लिये क्या–क्या कार्य कर सकें ।

7.2.3 कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना

कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी संभावनाए और अवसर खोजे जा सकते है कहते है कि किसी भी देष की तरक्की में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है इसलिये हर एक काम में युवाओं को आगे आने की जरूरत है युवा जब किसी काम को करता है तो वो बहुत जल्द सफल होता है लेकिन हमारे देष के युवा कृषि के क्षेत्र से दुर भाग रहे है यदि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की हम बात करें तो ग्रामीण युवा नौकरी की तलाष में गांव से शहरों की और पलायन कर रहे है, काई भी खेती नहीं करना चाहता है एक किसान का बेटा भी खेती नहीं करना चाहता है इसका कारण यही है कि कही न कही कोई तो कमी है जिसके कारण युवा खेती से भाग रहे है।

युवा कृषि से मुंह मोड़ रहे है तो यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पुरे विष्व में चिंता का विषय बन चुका है यदि कोई खेती नहीं करेगा तो इस बढती हुई आबादी का पेट कौन भरेगा, यह एक बड़ा सवाल उभरकर सामने आ रहा है इसलिये युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिये सरकार द्वारा कई आयोजन किया जाता है

7.2.4 हरित क्रान्ति

हरित क्रान्ति से अभिप्राय देष के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों को अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्वि करना है हरित क्रान्ति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है, जो 1960 के दषक में पारम्परिक कृषि को आधुनिक तकनीकि द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने के रूप में सामने आई। क्योकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकि एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोडे ही समय में इससे इतने आष्चर्यजनक परिणाम निकले की देष के योजनाकारों, कृषि विषेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याषित प्रगति को ही हरित क्रान्ति की संज्ञा प्रदान कर दी हरित क्रान्ति की संज्ञा इसलिये भी दी गयी, क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर आ चुकी थी।

8. सुझाव :–

8.1 कृषि में तकनीकि एवं संस्थागत सुधार

कृषि में कई प्रकार की योजनाएं, विकास कार्य, आदि सरकार द्वारा चलाये जाते है परन्तु कहीं तो लागू कर दिये जाते है पर ज्ञान, जागरूकता के अभाव में लाभ नहीं ले पाते है एवं कहीं राजनैतिक पहुच वाले व बडे/अमीर लोग इसका फायदा उठा लेते है जिससे बहुत से किसानों को लाभ मिल ही नहीं पाता है सरकार द्वारा किसानों के लाभ व कृषि के विकास के लिये जागरूकता व योजनाओं को कभी किसानो को पहुचाने बाबत् अलग से जिलेवार/तहसीलवार/पंचायतवार टीम

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

गठित की जानी चाहिए जिससे वह टीम किसानों को जागरूक कर मदद करें। सरकार द्वारा जो टीम गठित की जाती है उनका कार्य ऐसा होना चाहिए की आने वाले 5 सालों बाद किसान इतना जागरूक हो जाये की वह अपने–आप अपनी खेती व कृषि के प्रति सम्पूर्ण कार्य, योजनाओं का लाभ उठा सके।

8.1.1 रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग

नवीन कृषि नीति के परिणामस्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके तहत कृषि में भारी मात्रा में किसानों का लाभ मिल रहा है पर यहां भी जागरूकता के अभाव में केवल मात्र वही किसान लाभ उठा पा रहे है जो पूर्व से सम्पन्न व राजनैतिक पहुच वाले है इस प्रकार टीम ऐसी गठित की जानी चाहिए जो हर एक किसान को ऐसे जागरूक करें की किसान को लाभ हों।

8.1.2 उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि

देश में अधिक उपज देने वाले उन्नतषील बीजों का प्रयोग बढ़ा है तथा बीजों की नई नई किस्मों की खोज की गयी है अभी तक अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम गेहू, धान, बाजरा, मक्का व ज्वार जैसी फसलों पर लागू किया गया है परन्तु अभी तक अधिकतर किसानों को यह भी पता नहीं है कि उन्नतषील बीज होते क्या है। अतः सरकार का प्रथम कार्य तो किसानों को जागरूक करना व जागरूक करने के साथ–साथ उनकी मदद भी करना चाहिए।

8.1.3 सिंचाई सुविधाओं का विकास

कृषि क्षेत्र में कई नई विकास विधि के अन्तर्गत देष में सिंचाई सुविधाओं को तेजी के साथ विस्तार किया गया है देष में निम्न वर्ग के किसानों द्वारा सिंचाई के साधन व विकास की कमी के कारण मजबुरन दुसरे किसानों के खेतो में मजदूरी करने पर विवष हो जाते है।

8.1.4 पौध संरक्षण

नवीन कृषि विकास विधि के अन्तर्गत पौध संरक्षण पर भी धन दिया जाना चाहिए इसके अन्तर्गत खरपतवार एवं कीटों का नाष करने के लिये दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है तथा टिड्डी दल पर नियन्त्रण करने का प्रयास किया जाता है वर्तमान में समेकित कृषि प्रबन्ध के अन्तर्गत पारिस्थिति की अनुकूल कृमि नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया है।

8.1.5 बहुफसली कार्यक्रम

बहुफसली कार्यक्रम का उद्देष्य एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढाना है अन्य शब्दों में भूमि की उर्वरता शक्ति के नष्ट किये बिना, भूमि के एक इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही बहुफसली कार्यक्रम कहलाता है।

8.1.6 आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग

नई कृषि विकास विधिक एवं हरित क्रान्ति में आधुनिक कृषि उपकरणों, जैसे – ट्रेक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, बुलडोजर तथा डीजल एवं बिजली के पम्पसेटों आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है परन्तु निम्न वर्ग के किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है।

8.2 कृषि उत्पादन में सुधार

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

कृषि में सुधार व विकास के लिये उत्पादन में सुधार करना बहुत आवष्यक है। जिसके तहत उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, कृषि के परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन, कृषि बचतों में वृद्धि, अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती

8.3 कृषि व किसानों के लिये हितकारी योजनाओं का विकास करना चाहिए

8.3.1 मानवीय पक्ष

मुख्य जोर किसानों की आर्थिक दषा सुधारने पर रहेगा, न कि केवल उत्पादन और उत्पादकता केन्द्र में रहेगी और यह किसानों के लिये नीति निर्धारण की मृख्य कसौटी होगी जिससे कृषि का विकास हो सकेगा।

8.3.2 किसानों की परिभाषा

यह क्षेत्र में संलग्न हर आदमी को शामिल करती है ताकि उनको भी नीति का फायदा मिल सकें।

8.3.3 संपति सुधार

यह सुनिष्चित करने के लिये कि गांवों का हरेक पुरूष या महिला खासकर गरीब या तो उत्पादक सम्पति का मालिक हो या उस तक पहुॅच रखता हों।

8.3.4 जल की हरेक इकाई पर कमाई

पानी की हरेक ईकाई के साथ उपज को अधिकतम करने का विचार हरेक फसल के उत्पादन में अपनाया जायेगा। साथ ही पानी के अधिकतम इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जायेगा।

8.3.5 सुखा कोड, बाढ़ का कोड, ओर अच्छे मौसम का कोड

यह सूखा और बाढ़ग्रस्त इलाको में लागू किया जाएगा, साथ ही ऊसर इलाकों में भी इसे लागू किया जायेगा। इसका उद्वेष्य मानसून का अधिकतम लाभी उठाना और संभावित खतरों से निबटना है।

8.3.6 तकनीक का इस्तेमाल

नयी तकनीक के इस्तेमाल से भूमि और जल की प्रति ईकाई उत्पादन को बढ़ाना है जैव–प्रौद्योगिकी, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी, पुनरूत्पादन के लायक ऊर्जा तकनीक, आकाशीय तकनीक और नैनो–तकनीक के इस्तेमाल से एवरग्रीन रेवोल्युषन की स्थापना की गयी जिससे बिना पारिस्थिति की को नुकसान पहुंचाए उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा।

8.3.7 राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा व्यवस्था

यह एक समन्वित कृषिय जैव सुरक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था के लिये स्थापित होगा।

8.3.8 भूमि की देखभाल हेतु सेवाएं और निवेष

अच्छी गुणवता के बीज, रोगमुक्त रोपण सामग्री जिसमें हरित गृह मे उगाए बीज और मिट्टी की गुणवता को बढ़ाकर छोटे खेतों की उत्पादकता बढाई जा सकती है। हर एक किसान परिवार को मिट्टी के गुणवता की जानकारी देने वाला पासबुक दिया जाना चाहिए।

8.3.9 भविष्य के किसान

किसान सहकारी खेती अपना सकते है, सेवा सहकारिता बना सकते है स्वयं सहायता समूह के जरिये सामुहिक खेती कर सकते है, छोटी बचत वाली सम्पति बना सकते है, निविदा खेती

ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

को अपना सकते है और किसानों की कम्पनी बना सकते है इससे उत्पादन बढने की उम्मीद है, छोटे किसानों की क्षमता में बढ़ोतरी होने और कई तरह की आजीविकाओं के निर्माण की भी संभावना है।

9. निष्कर्ष :–

भारत निःसंदेह पूरी दुनिया के लिए अनाज के एक प्रमुख स्त्रोत के रूप में उभर कर सामने आया है, क्योकि विगत दषकों में इसका कृषि उत्पादन और यहां से अनाज कि फसलों का निर्यात कई गुना बढ़ गया है हरित क्रांति के बाद किसानों कि समृद्वि और आमदनी काफी बढ़ गयी। हालांकि, ये लाभ सभी किसान परिवारों के बीच समान रूप से नहीं बंट पाई छोटे एवं सीमान्त और किसी तरह से अपना जीवन यापन करने वाले किसानों के समक्ष मौजूद कई बाधाओं पर गौर करने से यह साफ पता चलता है कि उनके संघर्ष का दौर अब भी जारी है किसानों के हालात आंकलन, सर्वेक्षण, के निष्कपर्षो से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि किसान अपने पैषे के प्रति उदासिन हो गये है किसी तरह से जीवन निर्वहन कर रहे है लगभग 40 फिसदी ग्रामिण किसान परिवार खेती को नापंसद करते है एवं किसी अन्य व्यवसाय को अपनाने को तरजीह देते है उन्होने यह भी कहा कि वह नहीं चाहते की उनके बच्चे अपने परिवार की भूमि पर खेती बाडी को आगे भी जारी रखे, वैसे तो सरकार ने किसानों की दुर्दषा सुधारने के लिये अनेक कदम उठाये है लेकिन किसी तरह से जीवन यापन कर रहे किसानों को पेष आ रही समस्याओं को सुलझाने पर कोई विषेष ध्यान नहीं दिया गया उदाहरण के लिये इस तरह के किसानों की पहुॅच आवश्यक कच्चे माल और विस्तार सेवाओं तक नहीं है, जिस वजह से वह अपनी जमीन पर उत्पादकता बढाने में समर्थ नहीं हो पा रहे है सीमान्त किसानों को अपनी जोत के छोटे आकार की वजह से फसल विविधीकरण में भी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा है जिससे उनका लाभ और अतिरिक्त निवेश की सम्भावनाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है सरकार को अवश्य ही एक ऐसी समावेषी विस्तार प्रणाली विकसीत करनी चाहिए जिससे छोटे किसानों को समान भूमि पर अनाज व वाणिज्यिक फसलों की खेती एक साथ शुरू करने के लिये प्रषिक्षित किया जाता है इस कदम से न केवल किसानों की आमदनी बढ जायेगी, बल्कि भूमि और अन्य सामग्री के सतत उपयोग को भी बढावा मिलेगा, पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रो का उपयोग ऐसी फसलो की खेती के लिये किया जा सकता है जिनके लिये बढी मात्रा में जल की आवष्यकता नहीं होती है
जैसे की दाल व कपास। पानी की सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इसके लिये बढे किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक स्त्रोतो जैसे की ड्रिप एवं सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करने के लिये अवष्य ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जल स्त्रोतो के संरक्षण एवं पुनर्भरण का प्रषिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वह इस दुर्लभ बहुमुल्य संसाधण से किसी तरह अपना जीवन निर्वह कर रहे किसानों से वंचित नहीं कर सकें।

भारत में किसानों को प्रतिकुल जलवायु व मौसम की मार भी अक्सर पडती रहती है जिससे उनकी आय बुरी तरह प्रभावित होती है ऐसे में उपयुक्त बुनियादी ढाचे जैसे की भंडारण सुविधाओं और माल गोदामों का अभाव होने के कारण स्थिती और भी ज्यादा बिगड जाती है क्योकि इससे उपज की गुणवतता और फिर इसके बाद उनकी किमतो पर भी बेहद प्रतिकुल असर पड़ता है भंडारण की सुविधाएं बढाने की योजना जल्द से जल्द क्रियान्वित कि जानी चाहिए क्योंकि माल गोदामों की सुविधाओं के अभाव में होने वाले नुकसानों के विरूद्व किसानों का बीमा इनकी बदोलत सम्भव हो पायेगा। छोटे व सीमान्त किसानों को कर्ज पर ऊंची ब्याज दरो का बोझ भी वहन करना

ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

पड़ता है क्योंकि कुछ किसानों की ही पहुँच औपचारिक वितीय संस्थानों से मिलने वाले ऋणो तक है। औपचारिक ऋण संस्थानो की कवरेज अवष्य ही बढकार छोटे किसानों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए इसके लिये सरकार को ऐसी एजेंसी बनाने की जरूरत है जो सभी राज्यों के छोटे किसानों को सभी स्तरों पर ऋण संस्थानों से जोडने का काम करेगी। ब्याज छुट योजना में लिकेज की रोकथाम के लिये बैंको में आय का सीधा हस्तान्तरण करने की योजना का व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए इसके लिये बैंकिग क्षेत्र में छोटे किसानों के लिये एकीकरण की आवष्यकता होगी।

सन्दर्भ :–

[1]. बाढदार एवं बाढदार (राजस्थान काष्तकारी अधिनियम) डोमीनियन लॉ डिपो चौड़ा रास्ता जयपुर 302 003 :– अध्याय 2 व 3

[2]. बाढ़दार एवं बाढ़दार (राजस्थान भू–राजस्व कानून) डोमीनियन लॉ डिपो चौड़ा रास्ता जयपुर 302 003 :– अध्याय 6 पेज नम्बर 113 से 142

[3]. **Supreme Appeals Reporter (S.A.R.) Choudhary Publication 161, Civil Lines, Near S.S.P. Crossing, Meerut 250001**

[4]. **Rastogi & Sharma ¼jktLFkku vfHk/k`fr vf/kfu;e 1955½ Rajasthan Revenue Times , D-334 & 338, Shankar Nagar, C.H.B., Pal Road, Jodhpur (Raj.)** अध्याय 6

[5]. (राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 (5) धारा 5(9) में परिभाषित फसलों, (6) धारा 5(10) भू–सम्पति, (7) धारा 5(11) भू–सम्पति धारक, (8) धारा 5(15) उपवन भूमि, (9) धारा 5(17) भूमि क्षेत्र, (10) धारा 5(18) इजारा या ठेका, (11) धारा 5(19) सुधार, (12) धारा 5(21) जागीरदार, (13) धारा 5(22) जागीर भूमि, (14) धारा 5(23) खुदकाष्त, (15) धारा 5(24) भूमि, (16) धारा 5(25)क भू–स्वामी, (17) धारा 5(26) भूमि धारी, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 3 से 8)

[6]. (राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की (18) धारा 5 (26)क भूमिहिन व्यक्ति, (19) धारा 5 (26कक) मालिक, (20) धारा 5 (27) अधिवासित भूमि, (21) धारा 5 (28), (22) धारा 5 (32) लगान, (23) धारा 5 (37) सायर में, (24) धारा 5 (41) षिकमी आसामी, (25) धारा 5 (43) आसामी, (26) धारा 5 (44), (27) धारा 5 (46) जमीदार, (28) धारा 5 (47) नालबट, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 3 से 14)

[7]. (राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 102) (1)

(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 102) (2)
(राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 167) (3)
(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 149) (4) (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136, बाढ़दार एव बाढ़दार पेज नम्बर 192–3) (5) (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में भूमि रूपान्तरण एवं अतिक्रमण नियमन की सूचनाये, आदेष एवं परिपत्र) (6)

ISSN: 2320-3714
Volume:3 Issue:3
September 2021
Impact Factor: 6.7
Subject: Law

[8]. (पैरा संख्या 7 व 7–1 से 7–10 तक राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) द्वारा पारित परिपत्र क्रंमाक : राम/भू.अ./जी–3/विविध/1–241 दिनांक 02.01.2006) (1)

[9]. **Authenr own skill (2)**

[10]. (राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज. –6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003) एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/ Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

रामदेव गुर्जर

*****